न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–23/2020(जीसीएमएस नं. 202/00631)

1. भगवत सैनी पत्र किशन लाल जाति सैनी निवासी ग्राम भांखेडा तहसील व जिला अलवर राजसथान।

––अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रथम अलवर, राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अलवर, राजस्थान।

––रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–

1. श्री लोकेश गुप्ता, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से
2. श्री रोहिताश सैन एडवोकेट, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से

निर्णय

दिनांकः 26.10.2023

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.10.2016 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग की आराजी खसरा नम्बर 544, 550 वाके ग्राम भांखेडा पर अतिक्रमण करने की अपीलान्ट के विरूद्ध अपील पेश की थी जिस पर तहसीलदार ने धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किया गया तथा अपीलान्ट को अतिक्रमी मानते हुए बेदखल करने व लगान की 50 गुणा पैनेल्टी आरोपित करने के दिनांक 04.12.2015 को आदेश दिये गये थे। जिस आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट ने प्रथम अपीलीय न्यायालय में अपील पेश की जिस प्रथम अपील को अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.10.2016 से निरस्त करते हुए विधि विरूद्ध व बैजा तौर पर अपीलान्ट की अपील को खारिज़ किया गया है जो आदेश विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि आराजी बन्दोबस्त सम्वत् 2020 में सार्वजनिक निमार्ण विभाग के नाम गलत दर्ज हुई जिस बाबत इन्द्राज दुरूस्ती का प्रकरण सन् 1991 से न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर में विचाराधीन है। खसरा नम्बर साबिक 164 में दो व्यक्तियों परसादी लाल को दिनांक 10.06.1991 को व भगवान सहाय को दिनांक 02.11.1995 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी व न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर से खातेदारी मिल चुकी है। इन दावों में भी सार्वजनिक निर्माण विभाग पक्षकार था तथा पैरवी की है। इन प्रकरणों की आज तक सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कोई अपील नही की गई। सम्वत् 2025–2031 की गिरदावरी में

P.T.O.

संभागीय आयुक्त

अपीलान्ट के पिता व दादा का नाम दर्ज है तथा पुराने नम्बरान पर मदनमोहन बटवाडा का नाम दर्ज है। बन्दोबस्त ने गलत तौर से सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम आराजी दर्ज की है जिसकी दुरूस्ती का दावा चल रहा है जिसमें तहसीलदार पक्षकर है। ऐसी अवस्था में उनके द्वारा कोई कार्यवाही व निर्णय नही करना चाहिये था। पटवारी हल्का द्वारा की गई रिपोर्ट में भी अपीलान्ट का 40 वर्षो से कब्जा होना माना है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर गौर नही किया गया और विवादित आराजी बाबत नियमित रूप से सक्षम न्यायालय में वाद विचाराधीन रहने के बावजूद तहसीलदार ने कार्यवाही व निर्णय किया है जो निरस्त होने योग्य था लेकिन अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने भी उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि तहसीलदार द्वारा निर्णय करने से पूर्व मौके की कोई जांच नही की, ना ही साबिक रिकार्ड का अवलोकन किया, और ना ही पटवारी हल्का के बयान लिये तथा बिना उक्त प्रक्रिया अपनाये निर्णय गलत व बैजा तौर पर पारित किया गया था जो निरस्त होने योग्य था जिस पर अपीलीय न्यायालय ने भी गौर नही कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय हैं। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.10.2016 एवं तहसीलदार अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.12.2015 को अपास्त फरमाये जाने की कृपा करें।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अधिवक्ता ने कथन किया है कि अपीलार्थी के पास भूमि विवादग्रस्त के सम्बन्ध में कोई वैद्य दस्तोवज नही है। अपीलार्थी सार्वजनिक निर्माण विभाग की भूमि पर अतिक्रमी है तथा अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात् ही अपीलाधीन आदेश पारित किये गये है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

हने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों को एवं रिकार्ड का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया जिससे जाहिर होता है कि अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई भी साक्ष्य, सबूत या दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नही किया गया है जिससे भूमि विवादग्रस्त के सम्बन्ध में अपीलान्ट या उसके बुर्जगाान की खातेदरी में कभी भी रही हो। जबकि भूमि विवादग्रस्त सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज रिकार्ड है। अपीलार्थी केवल स्वयं का कब्जा होना एवं भूमि विवादग्रस्त के सम्बन्ध में सक्षम न्यायालय में वाद विचाराधीन होना कहकर आ रहा है जबकि भूमि विवादग्रस्त पर अपीलार्थी का अतिक्रमण होने से भूमि विवादग्रस्त में अपीलार्थी के कोई हक, अधिकार कानूनन उत्पन्न नही हो सकते। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.10.2016 में और तहसीलदार अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.12.2015 किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर द्वारा पारित अपीधीन आदेश दिनांक 18.10.2016 के यथावत रखा जाता है।

(डॉ0 आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 26.10.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।